

कार्यालय : ग्राम पंचायत देवीपुरा

पंचायत समिति शाहपुरा (जयपुर)

प्रेषक :-

सरपंच

श्रीमती धोली देवी

ग्राम पंचायत देवीपुरा

पंचायत समिति - शाहपुरा, जयपुर, राज.

प्रेषित :-

श्रीमान अधिशाही अभियंता,
सा. मि. वि. जिलाबन्ड
शाहपुरा

क्रमांक : 31/18

दिनांक 20/6/2018.

विषय :- वनाधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं
संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव त्रिवेणी सड़क से
ब्रह्माणी माता मंदिर सी. सी. रोड (V.R) ग्राम सभा बोंड के
प्रस्ताव बाबत,

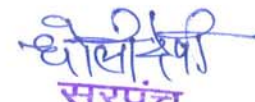
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विवेचन है कि दिनांक 17-8-2015 को ग्राम सभा
बोंड के प्रस्ताव संख्या-66 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं
संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत उपरोक्त सड़क निर्माण व वनाधिकार
अधिनियम के अनुसार परीक्षण किया गया जिसमें प्रस्तावित वन भूमि
त्रिवेणी सड़क से ब्रह्माणी माता (देवीपुरा) के मध्य पड़ने वाली वन भूमि
में से सड़क गुजरने वाली सड़क के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के
नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्याप्ति की
अधिकार प्राप्त नहीं किया गया है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार
का आवार नहीं है एवं नहीं कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित
जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रस्तावित नहीं करते हैं।

इस प्रस्ताव की प्रति श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है।

संलग्न प्रस्ताव प्रतिलिपि


ग्राम सचिव पदेन सचिव
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. सं. शाहपुरा (जयपुर)


सरपंच
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. सं. शाहपुरा (जयपुर) राज.